न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी–

परशुराम धानका
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
89 / 2015 / प्रा.पत्र / 2015	09.10.2015	16.05.2022

सत्यनारायण गुर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक
.... प्रार्थी

बनाम

1–श्री महावीर प्रसाद पुत्र श्री भागचन्द जैन जाति महाजन निवासी गढ के पास राहोली तह. निवाई जिला टोंक मैसर्स महावीर जनरल स्टोर मेन मार्केट राहोली तह. निवाई जिला टोंक
2– मैसर्स महावीर जनरल स्टोर मेन मार्केट राहोली तह. निवाई जिला टोंक
3–श्री मुकेश कुमार जैन पुत्र श्री प्रेम चन्द जैन निवासी मायला बाग निवाई जिला टोंक मैसर्स प्रेमचन्द एण्ड कम्पनी बिलाला मार्केट निवाई
4– मैसर्स प्रेमचन्द एण्ड कम्पनी बिलाला मार्केट निवाई
5–श्री श्याम सुन्दर गुप्ता निवासी बी–43–ए, लक्ष्मीनारायणपुरी जयपुर प्रोपरायटर मैसर्स श्री श्याम इण्डस्ट्रीज एच–19, बी रीको इण्डस्ट्रीज एरिया दिल्ली रोड कूकस, जयपुर
6– मैसर्स श्री श्याम इण्डस्ट्रीज एच–19, बी रीको इण्डस्ट्रीज एरिया दिल्ली रोड कूकस, जयपुर
...... अप्रार्थीगण

जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) एवं दण्डनीय धारा 52 (सहपठित धारा 49)

उपस्थित–

1–पेरोकार सरकार उपस्थित।
2–श्री विक्रम जैन, श्री प्रकाश चन्द जैन अभिभाषक अप्रार्थी 1,2, 5 व 6 उप.।

:–निर्णय–: **दिनांक 16.05.2022**

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 20.07.2015 को समय 12:30 पी.एम. पर मैसर्स महावीर जनरल स्टोर मेन मार्केट राहोली तह. निवाई जिला टोंक पर पहुंचा। वहॉ श्री महावीर प्रसाद पुत्र श्री भागचन्द जैन अपने प्रतिष्ठान पर खाद्य पदार्थ का विक्रय करते हुए मिला, को अपना परिचय दिया एवं उनसे परिचय लिया तथा पूछने पर श्री महावीर प्रसाद जैन ने स्वयं को मैसर्स महावीर जनरल स्टोर मेन मार्केट राहोली तह. निवाई जिला टोंक का मालिक होना बताया तथा खाद्य अनुज्ञा प्रपत्र मांगे जाने पर खाद्य अनुज्ञा प्रपत्र दिखाया।

आवेदक द्वारा दुकान का निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय करने हेतु दुकान में एक कट्टे में एक किलोग्राम पैक के लगभग 25 पैकेट पैक्ड अवस्था में **बूरा** (नमस्कार ब्राण्ड) रखा हुआ था, जिसे देखने पर मिलावट की शंका होने पर श्री महावीर

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

प्रसाद जैन को फार्म नं. 5 ए दो प्रतियों में नियमानुसार भरकर, विक्रेता को सूचित कर दोनों प्रतियों में विक्रेता श्री महावीर प्रसाद जैन व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये व स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर मय सील मोहर किये तथा एक प्रति विक्रेता को वास्ते सूचनार्थ सुपुर्द कर विक्रेता को बताकर कि यह **बूरा (नमस्कार ब्राण्ड)** वास्ते मानक स्तर की जांच करवाने हेतु क्रय किए जा रहे हैं, 1 किलोग्राम के चार पैकेट खरीदा, जिसकी कीमत विक्रेता को नगद देकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक ने खरीदशुदा **बूरा (नमस्कार ब्राण्ड)** के चार पैकेट प्रत्येक 1 किलोग्राम के बराबर–बराबर चार भाग तैयार कर चारों नमूना भागों के लिए चार लेबल तैयार कर प्रत्येक भाग पर गोंद से अच्छी तरह चिपकाया और प्रत्येक लेबल पर नमूना लेने का दिनांक व स्थान व लिए गये खाद्य पदार्थ का नाम तथा डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक आई–1046 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता श्री महावीर प्रसाद जैन तथा गवाहान के हस्ताक्षर करायें। चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेटकर सिर मुंह को गोद से अच्छी तरह चिपकाकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप न. आई–1046 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येंक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आवें। चारो नमूना भागो को अपने जाप्ते में लिया व मोका फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नं0 6 की 6 प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म नं0 6 की प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला अजमेर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की।

खाद्य कारोबारकर्ता श्री महावीर प्रसाद पुत्र श्री भगचन्द जैन जाति महाजन निवासी गढ के पास राहोली तह. निवाई जिला टोंक मैसर्स महावीर जनरल स्टोर मेन मार्केट राहोली तह. निवाई जिला टोंक ने मौके पर बतौर वारन्टी मैसर्स प्रेमचन्द एण्ड कम्पनी बिलाला मार्केट निवाई का बिल प्रस्तुत कर उपरोक्त **बूरा (नमस्कार ब्राण्ड)** क्रय करना बताया।

आवेदक द्वारा मैसर्स प्रेमचन्द एण्ड कम्पनी बिलाला मार्केट निवाई से सम्पर्क करने के उपरान्त प्रोपरायअर ने बतौर वारन्टी मैसर्स श्री श्याम इण्डस्ट्रीज एच–19, बी रीको इण्डस्ट्रीज एरिया दिल्ली रोड कूकस, जयपुर का बिल प्रस्तुत कर उपरोक्त **बूरा (नमस्कार ब्राण्ड)** क्रय करना बताया।

आवेदक द्वारा मैसर्स श्री श्याम इण्डस्ट्रीज एच–19, बी रीको इण्डस्ट्रीज एरिया दिल्ली रोड कूकस, जयपुर को पत्र प्रेषित कर आवश्यक दस्तावेज चाहने पर प्रोपरायटर ने अपनी फर्म का खाद्य अनुज्ञा पत्र व अन्य दस्तावेज प्रस्तुत किए।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./15/3031 दिनांक 27.08.2015 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला अजमेर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं0 एफ0एस0/515/एक्ट/2015/515 दिनांक 31.07.2015 के अनुसार विक्रेता श्री महावीर

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

प्रसाद जैन से वास्ते मानक स्तर की जांच कराने हेतु क्रय किया गया **बूरा (नमस्कार ब्राण्ड)** खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 3(1)(zf)(C)(i) के अनुसार **मिथ्याछाप (Misbranded)** स्तर का होना पाया गया। प्रकरण में अप्रार्थीगण **मिथ्याछाप (Misbranded)** स्तर का **बूरा (नमस्कार ब्राण्ड)** का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 (सहपठित धारा 49) में निर्धारित है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी सं. 1 श्री महावीर प्रसाद जैन दिनांक 30.01.2020 को अन्तिम बार उपस्थित हुए और इसके बाद लगातार अनुपस्थित है। अप्रार्थी सं. 3 व 4 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही दिनांक 12.05.2022 को की गई है। अभिभाषक अप्रार्थी सं. 5 व 6 ने जवाब के कई अवसर देने के बाद भी जवाब पेश नहीं किया है। पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र पर अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अप्राथगण जिस **बूरा (नमस्कार ब्राण्ड)** का विक्रय कर रहे थे वह जांच में स्तर **मिथ्याछाप (Misbranded)** का होना पाया गया है, इसलिए अप्राथीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थीगण के पास से लिया गया **बूरा (नमस्कार ब्राण्ड)** नमूना जांच में **मिथ्याछाप (Misbranded)** स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 52 (सहपठित धारा 49) के अन्तर्गत जुर्माना की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्व प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी सं. 1 श्री महावीर प्रसाद पुत्र श्री भगचन्द जैन जाति महाजन निवासी गढ के पास राहोली तह. निवाई जिला टोंक मैसर्स महावीर जनरल स्टोर मेन मार्केट राहोली तह. निवाई जिला टोंक पर शास्ति रूपये 30,000 (अक्षरे तीस हजार रू0), अप्रार्थी सं 3 श्री मुकेश कुमार जैन पुत्र श्री प्रेम चन्द जैन निवासी मायला बाग निवाई जिला टोंक मैसर्स प्रेमचन्द एण्ड कम्पनी बिलाला मार्केट निवाई पर शास्ति रूपये 30,000 (अक्षरे तीस हजार रू0) तथा अप्रार्थी सं. 5 श्री श्याम सुन्दर गुप्ता निवासी बी–43–ए, लक्ष्मीनारायणपुरी जयपुर प्रोपरायटर मैसर्स श्री श्याम इण्डस्ट्रीज एच–19, बी रीको इण्डस्ट्रीज एरिया दिल्ली रोड कूकस, जयपुर पर शास्ति रूपये 60,000 (अक्षरे साठ हजार रू0) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये डीडी न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 16.05.2022 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। निर्णय की प्रति अप्रार्थी एवं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टोंक को प्रेषित की जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 16.05.2022 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

(अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट)

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक–राज0